

I/363859/2023

संख्या- 13 /2023/1516 /नं-9-2023-001-ई-1683148

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

तखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2023

**विषय:** राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1356/106/SSCM/2021-22, दिनांक 06.07.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) निर्माण कुल मूल्यांकित/आंकलित लागत धनराशि (जी0एस0टी0सहित) ₹0 696.99 लाख (रूपये छः करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 348.495 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार पाँच सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाईडलाइन्स 2019 के दिशा निर्देशों/शासन के आदेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, गाजियाबाद को अंतरित की जायेगी, जिसके द्वारा उक्त धनराशि नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) प्रायोजना की डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर भविष्य में कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत पुराने निर्माण को लोडकर पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः ध्वस्तीकरण के पश्चात मलवे से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर एवं ए0सी0 आदि बाट आउट आइटम की लागत को अनुमन्य नहीं किया गया है।
- (5) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जो बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर व्यय उनका सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

I/363859/2023

- (6) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (7) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियाँ एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जायें।
- (9) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
- (12) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (13) संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान एवं भविष्य में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
- (14) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की दिनांक 18.03.2023 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में अंकित समस्त विन्दुओं/अन्य सुझावों का अनुपालन/समावेश करने का दायित्व व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद का होगा एवं इसका पर्यवेक्षण मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा किया जायेगा।
- (15) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (16) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
- (17) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (18) कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/कार्यदायी संस्था का होगा।

I/363859/2023

- (19) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विंशष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (20) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,48,49,500 (रुपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख उनचास हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-119-X-2023-24, दिनांक- 28 जुलाई, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)  
Signed by मोहम्मद वासिफ  
Date 07-08-2023 13:21:21  
Reason: Approved

संख्या-13 /2023/1516 /नौ-9-2023-001-ई-1683148, तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
9. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-13/2023/1516/नौ-9-2023-001-ई-1683148,

दिनांक 07.08.2023 का संशोधन

संख्या-1530/नौ-9-2023-ई-1683148

प्रेषक,

मो0 वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/  
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,  
30प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2023

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) परियोजना के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2023/1516/नौ-9-2023-001-ई-1683148, दिनांक 07.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, गाजियाबाद में जोनल कार्यालय/जोनल नागरिक सुविधा केन्द्र (अर्बन सिटीजन फैसिलिटेशन सेन्टर) निर्माण कुल मूल्यांकित/आंकलित लागत धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) ₹0 696.99 लाख (रूपये छः करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 348.495 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त शासनादेश संख्या-13/2023/1516/नौ-9-2023-001-ई-1683148, दिनांक- 07.08.2023 के प्रस्तर-01 में प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 348.495 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र) के स्थान पर शब्दों में अंकित धनराशि त्रुटिवश रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार पाँच सौ पचास मात्र अंकित हो गयी है। शासनादेश संख्या-13/2023/1516/नौ-9-2023-001-ई-1683148, दिनांक- 07.08.2023 के प्रस्तर-1 में शब्दों में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि निम्नवत् संशोधित की जाती है-

"रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र"

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश संख्या-13/2023/1516/नौ-9-2023-001-ई-1683148, दिनांक- 07.08.2023 इस सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

  
(मो0 वासिफ)  
अनु सचिव।

संख्या-1530/नौ-9-2023-ई-1683148, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
9. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

Signed by मोहम्मद वासिफ  
अनु सचिव।

Date: 14-08-2023 11:41:27

Reason: Approved